न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 01/2017 निजि वन/ दायर दिनांक– 05.04.2017

निर्णय दिनांक–28.03.2018

श्री सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार सागवाडा जिला डूंगरपुर

.....प्रार्थी

बनाम

सर्वश्री विनोद, सुशीला, धनरेखा, गायत्री व कविता पिता गंगाराम, उमिया बेवा गंगाराम, नाबालिग सरबराकार माता उमिया बेबा गंगाराम ब्राह्मण नि. लिमडी तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर

....विपक्षी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत राजस्थान भू–राजस्व (निजी वन विकास हेतु अकृष्य बन्जर भूमि का आवंटन) नियम, 1986 के नियम 18

उपस्थित :–

1. श्री राजकीय पेरोकार नायब तहसीलदार डूंगरपुर .....प्रार्थी
2. श्री लक्ष्मणसिंह बियोला एडवोकेट ....विपक्षी

आदेश

इस प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विपक्षीगण के पिता श्री गंगाराम निवासी लिमड़ी तहसील सागवाडा को राजस्थान भू–राजस्व (निजी वन विकास हेतु अकृष्य बन्जर भूमि का आवंटन) नियम, 1986 के तहत भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम लिमड़ी (तहसील सागवाडा) के आराजी नम्बर 3001 रकबा 06–06 बीघा भूमि निजी वन विकास हेतु 25 वर्ष की अवधि के लिए लीज पर आवंटित की गई थी। विपक्षी द्वारा आवंटन के पश्चात अब तक आवंटित भूमि पर वृक्ष नहीं लगाकर तथा आवंटन शर्तों का उल्लंघन करने से भूमिधारी प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना–पत्र आवंटन निरस्ती हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी द्वारा विरूद्ध विपक्षी उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी के नाम नोटिस जारी कर नोटिस की विधिवत रूप से तामील करवाई गई। विपक्षी की और से जवाब पेश किया गया। जवाब अनुसार आवंटन शर्तों की पालना कर वृक्षारोपण किया गया हैं किन्तु आवंटित भूमि पर गांव के कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण करने की नियत से हमारी उक्त भूमि को हड़पने की कोशिश की जा रही है। मौके पर वृक्षारोपण हेतु खड्डे भी खोदे गये है। वर्षा का मौसम आते ही नियमानुसार वृक्षारोपण कर दिया जायेगा। विपक्षी ने उक्त आवंटित भूमि की 25 वर्षीय लीज अवधि समाप्त हो जाने से विवेचित भूमि के खातेदारी अधिकारी प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया है।

पक्षकारो की बहस सुनी गई। पैरोकार सरकार ने अपील मीमो के तथ्य तथा वकील विपक्षी ने जबाव के तथ्यों को पुनराव्यक्त किये गये।

प्रकरण में पक्षकारों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का गहनता से अध्ययन किया गया। आंवटी प्रार्थी को ग्राम लिमडी की आ.नं. 3001 रकबा 06–06 बीघा भूमि निजी वन विकास हेतु 25 वर्ष की लीज पर वर्ष 1985 में आंवटित की गई है। आंवटी प्रार्थी को निजी वन विकास हेतु भूमि आंवटन हुए 32 वर्ष पूर्ण हो चुके जबकि उक्त प्रयोजन 25 वर्ष की लीज पर भूमि आंवटन किया गया है अर्थात प्रार्थी आंवटी को 25 वर्ष की लीज पर आंवटित भूमि की लीज अवधि समाप्त हो चुकी है। पेरोकार सरकार ने कथन किया कि आवंटी द्वारा निजी वन विकास हेतु आवंटित भूमि पर किसी प्रकार का वृक्षारोपण न कर भूमि आंवटन शर्तों का उल्लंघन किया है जिसकी पुष्टि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाव से होती है। प्रकरण में अन्य गुणावगुण के सम्बन्ध में न जाते हुए पेरोकार सरकार के तथ्य में बताया है कि राज. भू–राजस्व (अकृष्य बंजर भूमि का निजी वन विकास हेतु भूमि आंवटन) नियम 1986 वर्तमान में प्रभावशील नहीं है अर्थात् उक्त नियम समाप्त हो चुका है। ऐसी स्थिति में विवेचित भूमि की लीज अवधि बढाई जाना सम्भव नहीं है। पेरोकार सरकार के उक्त तथ्य नियमों के परिपेक्ष्य में होने से पूर्ण रूप से सही है, चूंकि राज. भू–राजस्व (अकृष्य बंजर भूमि का निजी वन विकास हेतु भूमि आंवटन) नियम 1986 के नियम 19 के अनुसार नियम को समाप्त कर दिया गया है। उक्त स्थिति में अन्य गुणावगुण पर विचार किया जाना उचित नहीं है। प्रार्थी आंवटी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम लिमड़ी के आराजी नं. 3001 रकबा 06–06 बीघा निजी वन विकास हेतु 25 वर्षीय लीज पर विपक्षीगण को आवंटित भूमि को निरस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सागवाडा को निर्देशित किया जाता हैं कि निर्णयानुसार उक्त भूमि कब्जेराज लेकर पूर्ववत् बिलानाम दर्ज कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम की गई।

(राजेन्द्र भादू)
जिला कलक्टर,
डूंगरपुर

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 01/2017 निजि वन/ दायर दिनांक– 05.04.2017

निर्णय दिनांक–28.03.2018

श्री सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार सागवाडा जिला डूंगरपुर

.....प्रार्थी

बनाम

सर्वश्री विनोद, सुशीला, धनरेखा, गायत्री व कविता पिता गंगाराम, उमिया बेवा गंगाराम, नाबालिग सरबराकार माता उमिया बेबा गंगाराम ब्राह्मण नि. लिमडी तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर

....विपक्षी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत राजस्थान भू–राजस्व (निजी वन विकास हेतु अकृष्य बन्जर भूमि का आवंटन) नियम, 1986 के नियम 18

उपस्थित :–

1. श्री राजकीय पेरोकार नायब तहसीलदार डूंगरपुर .....प्रार्थी
2. श्री लक्ष्मणसिंह बियोला एडवोकेट ....विपक्षी

आदेश

इस प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विपक्षीगण के पिता श्री गंगाराम निवासी लिमड़ी तहसील सागवाडा को राजस्थान भू–राजस्व (निजी वन विकास हेतु अकृष्य बन्जर भूमि का आवंटन) नियम, 1986 के तहत भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम लिमड़ी (तहसील सागवाडा) के आराजी नम्बर 3001 रकबा 06–06 बीघा भूमि निजी वन विकास हेतु 25 वर्ष की अवधि के लिए लीज पर आवंटित की गई थी। विपक्षी द्वारा आवंटन के पश्चात अब तक आवंटित भूमि पर वृक्ष नहीं लगाकर तथा आवंटन शर्तों का उल्लंघन करने से भूमिधारी प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना–पत्र आवंटन निरस्ती हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी द्वारा विरूद्ध विपक्षी उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी के नाम नोटिस जारी कर नोटिस की विधिवत रूप से तामील करवाई गई। विपक्षी की और से जवाब पेश किया गया। जवाब अनुसार आवंटन शर्तों की पालना कर वृक्षारोपण किया गया हैं किन्तु आवंटित भूमि पर गांव के कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण करने की नियत से हमारी उक्त भूमि को हड़पने की कोशिश की जा रही है। मौके पर वृक्षारोपण हेतु खड्डे भी खोदे गये है। वर्षा का मौसम आते ही नियमानुसार वृक्षारोपण कर दिया जायेगा। विपक्षी ने उक्त आवंटित भूमि की 25 वर्षीय लीज अवधि समाप्त हो जाने से विवेचित भूमि के खातेदारी अधिकारी प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया है।

पक्षकारो की बहस सुनी गई। पैरोकार सरकार ने अपील मीमो के तथ्य तथा वकील विपक्षी ने जबाव के तथ्यों को पुनराव्यक्त किये गये।

प्रकरण में पक्षकारों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का गहनता से अध्ययन किया गया। आंवटी प्रार्थी को ग्राम लिमडी की आ.नं. 3001 रकबा 06–06 बीघा भूमि निजी वन विकास हेतु 25 वर्ष की लीज पर वर्ष 1985 में आंवटित की गई है। आंवटी प्रार्थी को निजी वन विकास हेतु भूमि आंवटन हुए 32 वर्ष पूर्ण हो चुके जबकि उक्त प्रयोजन 25 वर्ष की लीज पर भूमि आंवटन किया गया है अर्थात प्रार्थी आंवटी को 25 वर्ष की लीज पर आंवटित भूमि की लीज अवधि समाप्त हो चुकी है। पेरोकार सरकार ने कथन किया कि आवंटी द्वारा निजी वन विकास हेतु आवंटित भूमि पर किसी प्रकार का वृक्षारोपण न कर भूमि आंवटन शर्तों का उल्लंघन किया है जिसकी पुष्टि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाव से होती है। प्रकरण में अन्य गुणावगुण के सम्बन्ध में न जाते हुए पेरोकार सरकार के तथ्य में बताया है कि राज. भू–राजस्व (अकृष्य बंजर भूमि का निजी वन विकास हेतु भूमि आंवटन) नियम 1986 वर्तमान में प्रभावशील नहीं है अर्थात् उक्त नियम समाप्त हो चुका है। ऐसी स्थिति में विवेचित भूमि की लीज अवधि बढाई जाना सम्भव नहीं है। पेरोकार सरकार के उक्त तथ्य नियमों के परिपेक्ष्य में होने से पूर्ण रूप से सही है, चूंकि राज. भू–राजस्व (अकृष्य बंजर भूमि का निजी वन विकास हेतु भूमि आंवटन) नियम 1986 के नियम 19 के अनुसार नियम को समाप्त कर दिया गया है। उक्त स्थिति में अन्य गुणावगुण पर विचार किया जाना उचित नहीं है। प्रार्थी आंवटी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम लिमड़ी के आराजी नं. 3001 रकबा 06–06 बीघा निजी वन विकास हेतु 25 वर्षीय लीज पर विपक्षीगण को आवंटित भूमि को निरस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सागवाडा को निर्देशित किया जाता हैं कि निर्णयानुसार उक्त भूमि कब्जेराज लेकर पूर्ववत् बिलानाम दर्ज कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम की गई।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर,
डूंगरपुर